

THE PARLIAMENTARY DEBATES

OFFICIAL REPORT

IN THE HUNDRED AND EIGHTIETH SESSION OF THE

RAJYA SABHA

Commencing on the 20th February, 1997 / 1st Phalguna, 1918 (Saka)

RAJYA SABHA

Thursday the 20th February, 1997

1st Phalguna, 1918 (Saka)

The House met at fifty minutes past
twelve of the Clock,

Mr. Chairman in the Chair.

(The National Anthem was played)

**PRESIDENT'S ADDRESS LAID ON
THE TABLE**

SECRETARY-GENERAL: Sir, I lay on the Table a copy (in English and Hindi) of the President's Address to both the Houses of Parliament assembled together on the 20th February, 1997. [Placed in Library. See No LT. 1309/97] *[Text of the Address delivered by the President (Dr. Shanker Duval Sharma) in Hindi]*

माननीय सदस्यगण,

मुझे वर्ष 1997 में संसद के इस पहले सत्र में आपका स्वागत करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है। मैं नए सदस्यों को बधाई देता हूँ, और आगामी बजट एवं विधायी कार्य को सफलतापूर्वक पूरा करने के लिए आप सभी को अपनी शुभकामनाएं देता हूँ।

वर्तमान सरकार के कार्य-भार संभालने के पश्चात् मैं संसद को पहली बार संबोधित कर रहा हूँ। संयुक्त मोर्चा के न्यूनतम साझा कार्यक्रम में राष्ट्रीय विकास, समानता सामाजिक न्याय और धर्म-निरपेक्षता के महत्वपूर्ण क्षेत्रों से संबंधित मूल कार्यसूची दी गई है। हमारे समाज और जनता की अधिक समृद्धि और खुशहाली के लिए यह एक माध्यम है। इसमें हमारे संघीय ढांचे को सुदृढ़ करने, मूलभूत न्यूनतम सेवाएं उपलब्ध कराने तथा गरीबी एवं अज्ञानता दूर करने के लिए आवश्यक सुविधाओं से वंचित वर्गों, विशेषकर, अनुसूचित जातियों, अनुसूचित

जनजातियों अन्य पिछड़े वर्गों अल्पसंख्यकों को समर्थ बनाने से संबंधित विशिष्ट नीतियों एवं दिशा निर्देशों का उल्लेख है। इस कार्यक्रम में उद्योग एवं आधारीक संरचना के लिए प्रचुर निवेश जुटाकर त्वारित आर्थिक विकास के लिए नीतियां बनाने पर बल दिया गया है।

इस प्रकार इस कार्यक्रम में एक ओर आर्थिक विकास तथा दूसरी ओर समानता एवं अनुपाती न्याय के प्रति चिंता का उचित संतुलन दिखाई देता है। सरकार इन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए पूर्णतः कटिबद्ध है।

हमारी लोकतांत्रिक संघीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत मिलीजुली सरकारें स्थिर हो सकती हैं, तथा वे सतत सामाजिक-आर्थिक विकास को बढ़ावा दे सकती हैं। हमारे संविधान की ऐसी उत्कृष्ट विशेषताएं हैं, जिनमें संघ और राज्यों के संबंधों का स्पष्ट उल्लेख है। सरकार बिना किसी भेदभाव के संवैधानिक का स्पष्ट उल्लेख है। सरकार बिना किसी भेदभाव के संवैधानिक उपबंधों का आदर करेगी तथा राष्ट्रीय समस्याओं का समाधान राज्यों के साथमिलजुलकर करने की प्रणाली को सुदृढ़ करने का प्रयास करेगी। हमें विश्वास है कि विश्वास है कि सभी राज्य इन व्यवस्थाओं को बनाए रखने तथा अपने विचार-विमर्श को संघ एवं राज्यों के लिए अधिक उपयोगी बनाने में अपना सहयोग देंगे।

सरकार ने अतराज्यीय परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद एवं योजना आयोग को गतिशील बनाने के लिए कदम उठाए हैं, और समय समय पर मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन भी आयोजित किए हैं। अंतराज्यीय परिषद ने 15 अक्तूबर, 1996 को हुई अपनी बैठक में सरकारिया आयोग की अधिकांश सिफारिशें सरकार द्वारा कार्यान्वयन के लिए मान ली। सरकारिया आयोग की शेष सिफारिशें, विशेषकर राज्यों को वित्तीय शक्तियां हस्तांतरित करने और संविधान के अनुच्छेद 356 में अपेक्षित परिवर्तन करने की समीक्षा करने के लिए अंतराज्यीय परिषद ने अपनी एक स्थायी समिति गठित की है। मूलभूत न्यूनतम सेवाओं तथा विद्युत क्षेत्र की समस्याओं के बारे में

मुख्यमंत्रियों के सम्मेलनों में बनी सहमति से ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले लोगों के जीवन स्तर में सुधार लाने के लिए समयबद्ध कार्यक्रमों को तैयार करना तथा विद्युत के क्षेत्र में सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्ययोजना को अपनाया जाना संभव हुआ है। योजना आयोग ने नौवीं पंचवर्षीय योजना का दृष्टिकोण पत्र तैयार करने में बहुत कम समय लिया, और इसे राष्ट्रीय विकास परिषद की 16 जनवरी, 1997 को हुई बैठक में सर्वसम्मति से स्वीकार भी कर लिया गया। सहयोग की यह भावना नौवीं पंचवर्षीय योजना को समय पर शुरू करने में महत्वपूर्ण होगी।

पंचायती राज संस्थाएं और नगरपालिकाएं आर्थिक विकास एवं सामाजिक न्याय की योजना बनाने, कार्यक्रम तैयार करने और उन्हें क्रियान्वित करने के लिए एक अभीष्ट संरचना प्रदान करती हैं। सरकार इन संस्थाओं को पर्याप्त शक्तियां और निधियां हस्तांतरित करना चाहती है। संसद द्वारा उसके पिछले सत्र के दौरान संविधान के भाग-ix को अनुसूचित क्षेत्रों पर लागू किए जाने के कानून को पारित किया जाना एक ऐतिहासिक घटना रही, जो इस प्रतिबद्धता को पर्याप्त रूप से दर्शाती है।

सार्वजनिक जीवन में सभी लोक सेवकों की सत्यनिष्ठा, निष्पक्षता और आचरण लोकतंत्र के आधार हैं। सरकार ने प्रशासन में सभी स्तरों पर पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने के लिए प्रभावी और उत्तरदायी प्रशासन पर राष्ट्रीय बहस शुरू की है। सरकार इस संबंध में प्राप्त विभिन्न अभिमतों पर विचार करने के साथ-साथ एक कार्य-योजना में भ्रष्टाचार के बारे में चिंतित है, तथा इस बुराई को खत्म करने के लिए कारगर कदम उठाने हेतु कटिबद्ध है। लोकपाल विधेयक लोक सभा में प्रस्तुत किया गया और लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) अधिनियम, 1996 को पारित किए जाने के साथ चुनाव प्रक्रिया में सुधार लाने की शुरुआत की गई है। इस बात के प्रयास किए जा रहे हैं कि इस विषय पर सभी राजनीतिक दलों से परामर्श करके अधिक व्यापक विधेयक संसद में प्रस्तुत किया जाए।

राष्ट्र की आंतरिक सुरक्षा की चुनौतियों को कम करने नहीं आंका जा सकता। ये विघटनकारी ताकतें देश के भीतर और बाहर पनपती हैं। सरकार इन ताकतों के प्रति तरह सजग है। उसमें इन चुनौतियों का दृढ़ता से मुकाबला किया है। आतंकवादियों के विरुद्ध लगातार कार्रवाई करने तथा कल्याण एवं विकास के ठोस प्रयासों के परिणामस्वरूप जम्मू-कश्मीर की

स्थिति में गुणमक सुधार हुआ है। जम्मू-कश्मीर में विधान सभा चुनावों के सफलतापूर्वक होने तथा लोकप्रिय सरकार स्थापित किए जाने से वहां सामान्य स्थिति बहाल करने की प्रक्रिया में काफी सफलता मिली है। प्रधानमंत्री ने राज्य की अर्थव्यवस्था को पुनर्जीवित करने के लिए संसद के पिछले मानसून सत्र के दौरान विशेष आर्थिक उपयों की घोषणा की थी, जिनके कार्यान्वयन के लिए पहले ही कार्रवाई की जा चुकी है।

कुछ पूर्वोत्तर राज्यों में उग्रवादी गुटों की गतिविधियां निरन्तर चिंता का कारण बनी हुई हैं। ये लंबी अंतरराष्ट्रीय सीमाओं के साथ लगे दुर्गम क्षेत्रों का फायदा उठा रहे हैं। सरकार ने इस समस्या से निपटने के लिए अपने पड़ोसी देशों के साथ व्यापक राजनयिक पहल की है। सरकार इस स्थिति के समाधान के लिए एक बहुआयामी नीति बनाकर प्रभावी कदम भी उठा रही है। इन कदमों में इस क्षेत्र का आर्थिक विकास भी शामिल है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में विकास की गति को तेज करने के उद्देश्य से पिछले अक्तूबर में अनेक उपायों की घोषणा की गई थी। आधारिक संरचना विकास और बुनियादी सेवाओं के बारे में एक उच्चस्तरीय आयोग तथा शिक्षित बेरोजगारों के लिए रोजगार के अवसर जुटाने के संबंध में एक उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया है।

पंजाब में स्थानीय शासन संस्थाओं और राज्य विधान सभा के चुनावों का सफलतापूर्वक सम्पन्न होना राज्य के लोगों का लोकतंत्र में अडिग विश्वास और शान्ति एवं सद्भाव बनाए रखने की उनकी प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

भारतीय अर्थव्यवस्था तेजी से प्रगति के पथ पर अग्रसर है। हम नौवीं योजना अवधि के दौरान कम से कम 7 प्रतिशत की वृद्धि दर सुनिश्चित करने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकते हैं। पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थव्यवस्था में लगभग 7 प्रतिशत वार्षिक औसत दर से वृद्धि हुई। कृषि उत्पादन लगभग 2.6 प्रतिशत की दर से बढ़ रहा है, जबकि औद्योगिक उत्पादन में 10 प्रतिशत से अधिक की औसत दर से वृद्धि हुई है, और इस समय यह लगभग 19.5 बिलियन अमरीकी डालर है।

सरकार तीव्र आर्थिक विकास के लिए आर्थिक सुधारों के प्रति वचनबद्ध है। निजी निवेश के लिए अनुकूल वातावरण बनाने के लिए प्रत्येक क्षेत्र से संबंधित कानूनों और नीतियों में उपयुक्त संशोधन किये जा रहे हैं। प्रस्तावों को शीघ्र स्वीकृति देने और इस प्रक्रिया को पारदर्शी बनाने के लिए कार्य-प्रणालियों को सरल

बनाया गया है। निवेशकों में यह विश्वास पैदा करने के लिए भी कार्रवाई की गई है कि उनके साथ न्यायसंगत और समान व्यवहार किया जाएगा।

विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड का पूरी तरह पुनर्गठन किया गया है, ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि शीघ्र निर्णय लिए जाएं और वे पारदर्शी हों। विदेशी निवेश संवर्धन परिषद का भी गठन किया गया है, जिससे विदेशी पूर्वी सुचारू रूप से प्राप्त होती रहे। स्वतः अनुमोदन के पात्र उद्योगों की सूची को व्यापक बनाया गया है। प्रत्येक क्षेत्र में विदेशी निवेश के लिए विशिष्ट दिशानिर्देश निर्धारित किए गए हैं। हम एक वर्ष में कम से कम दस बिलियन डालर का प्रत्यक्ष विदेशी निवेश जुटाने का अपना लक्ष्य प्राप्त करने के लिए वचनबद्ध हैं।

इसी प्रकार वित्तीय क्षेत्र में बैंकिंग प्रणाली को सुदृढ़ किया जा रहा है, ताकि यह अंतरराष्ट्रीय मानदण्डों के अनुरूप बन सके। निक्षेपागारों की स्थापना करने और शेयर बाजारों का आधुनिकीकरण करने से संस्थागत निवेश जुटाने के लिए तेजी से समझौते होने की संभावना है। हम विदेशों से दीर्घवाधिक पेंशन और बीमा निधियां जुटाने के लिए कदम उठा रहे हैं।

अर्थव्यवस्था की बढ़ती हुई प्रवृत्ति को बनाये रखने के लिए विद्युत, परिवहन एवं सिंचाई जैसे महत्वपूर्ण आधारिक संरचना वाले क्षेत्रों में पर्याप्त रूप से निवेश बढ़ाना अनिवार्य है। नई आधारिक संरचना विकास वित्त कंपनी बनाने से सक्षम बुनियादी आधारिक संरचना परियोजनाओं के वित्त-पोषण की बड़ी कमी को दूर किया जा सकेगा। बिजली के सर्वाधिक महत्वपूर्ण क्षेत्र में निजी क्षेत्र की पांच त्वरित विद्युत परियोजनाओं को प्रति-गारंटी दी गई है। बिजली के लिए सामान्य न्यूनतम राष्ट्रीय कार्य योजना को अपनाने, राज्यों को निर्णय लेने का अधिकार देने, राज्य बिजली बोर्डों का पुनर्गठन करने तथा टैरिफ को युक्तियुक्त बनाने की दिशा में यह एक महत्वपूर्ण पहल है। सरकार ने हाल ही में विद्युत संचरण में निजी निवेश की अनुमति देने का निर्णय लिया है।

पत्तनों के मामले में निजी निवेश प्राप्त करने तथा 74 प्रतिशत तक की विदेशी इक्विटी के स्वतः अनुमोदन की व्यवस्था करने के लिए एक व्यापक नीति की घोषणा की गई है। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के पूर्वी आधार में विस्तार करने से भारत में राजमार्गों का आधुनिक रूप से विकास करने के कार्य को गति मिलेगी। राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम 1955 और भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण अधिनियम 1988 में संशोधन

करने के लिए एक अध्यादेश भी प्रख्यापित किया गया है। इससे भूमि का शीघ्र आधिग्रीहण तथा सड़क-निर्माण में निजी निवेश हो सकेगा। सरकार पूर्वोत्तर जैसे अब तक के उपेक्षित क्षेत्रों में रेल नेटवर्क का विस्तार करने के लिए योजनाबद्ध प्रयास भी किए हैं।

अक्तुबर, 1996 में विस्तृत क्षेत्रों को लाइसेंस प्रदान करने हेतु दिशा-निर्देश जारी किए जाने से खनन क्षेत्र के लिए भी विदेशी और भारतीय निवेश करने की अनुमति से संबंधित प्रक्रिया में और प्रगति हुई है। सार्वधिक दूरसंचा नियमन प्राधिकरण की स्थापना के लिए एक नया अध्यादेश प्रख्यापित किया गया है। सरकार लंबित मामलों को सुलझाकर बुनियादी दूरसंचार सेवाओं को कारगर बनाना चाहती है।

आगामी दशक के दौरान अर्थव्यवस्था में होने वाले विकास में तेल और गैस नीति एक महत्वपूर्ण औद्योगिक शक्ति के रूप में सहायक होगी। इन उत्पादों की कीमतों में हाल ही में हुई वृद्धि के फलस्वरूप चालू वर्ष के अंत तक तेल पूल का घाटा लगभग 15,500 करोड़ रुपए हो जाएगा। देश में तेल क्षेत्र के समुचित विकास के लिए यह जरूरी है कि तेल पूल खाता संतुलित रहे। हमें इस क्षेत्र में भारी निवेश करना होगा, ताकि इसमें और अधिक अन्वेषण एवं उत्पादन किया जा सके। हमें न केवल वर्तमान लागतों को पूरा करने के लिए ही, बल्कि नए निवेशों की दृष्टि से भी पर्याप्त साधन जुटाने होंगे।

तीव्र औद्योगिक विकास के साथ-साथ हमें कृषि के क्षेत्र में भी उसी दर से उत्पादन बढ़ाना होगा। यह गरीबी दूर करने और कृषि उत्पादों की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए अनिवार्य है। वर्षा प्रधान, सूखा-संभावित और कम उपजाऊ भूमि पर कृषि विकास करना उच्च प्राथमिकता का विषय है। इन क्षेत्रों में रहने वाले गरीब लोगों के शीघ्र एवं सतत विकास के लिए आधुनिक भूति प्रबंध और जल-संरक्षण प्रणालियों को एक साथ मिलाकर जल-विभाजक विकास नीति अपनाना ही सर्वाधिक उपयुक्त साधन है। सरकार जल-विभाजक आधारित विकास की सभी उप-प्रणालियों को एक छत्र के नीचे लाने के लिए कटिबद्ध है, ताकि इस ओर अधिक ध्यान दिया जा सके, बेहतर तालमेल किया जा सके एवं सूक्ष्म स्तरीय योजना और कार्यक्रम के कार्यान्वयन को और अधिक कारगर बनाया जा सके।

स्थानीय क्षेत्रों की विशिष्ट समस्याएं हल करने तथा विज्ञान के क्षेत्र की उपलब्धियों के लाभ किसानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद और

राज्य कृषि विश्वविद्यालयों के जरिए शोध कार्य को बढ़ाना होगा। देश के बड़े भू-भाग में मृदा परीक्षण की सुविधाएं प्रदान की गई हैं। हमारे देश में टिशू कल्चर अनुसंधान से वाणिज्यिकरण को गति मिली है, और यह प्रौद्योगिक बंजर भूमि पर बागवानी और वनरोपण के लिए बड़े पैमाने पर अपनायी जा रही हैं। संकर धान की किस्म से चावल की उत्पादकता और उपज बहुत बढ़ाई जा सकती हैं। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान बासमती संकर धान की एक किस्म तैयार कर रहा है। इससे अच्छे किस्म के चावल का उत्पादन और निर्यात बढ़ेगा। वाणिज्यिक खेती के लिए चावल की पांच संकर किस्में निकाली जा चुकी हैं। इस प्रकार भारत विश्व में संकर धान का उत्पादन करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश हो गया है। इस वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रीय जीन बैंक भी खोला गया है, जो विश्व के बड़े जीन बैंकों में से एक है। विज्ञान के उभरते क्षेत्रों में हुई प्रगति का लाभ खेतों तक पहुंचाने से संबंधित मुद्दों की व्यापक रूप से जांच करने के लिए एक उच्च स्तरीय समिति बनायी गई है।

हालांकि कृषि विकास के लिए सिंचाई पर सदैव अधिक ध्यान दिया जाता रहा है, फिर भी सिंचाई की क्षमता बढ़ाने के लिए आठवीं योजना में निर्धारित लक्ष्यों को प्राप्त नहीं किया जा सका है। सरकार ने 1996-97 में त्वारित सिंचाई लाभ कार्यक्रम शुरू किया है। ग्रामीण विकास बैंक के ग्रामीण आधिरिक संरचना विकास कोष को सुदृढ़ बनाया गया है।

छोटे और सीमांत किसानों, विशेष रूप से अनुसूचित जातियों और अनुसूचित जनजातियों के किसानों को "गंगा कल्याण" नामक एक नये कार्यक्रम में सिंचाई सुविधाएं उपलब्ध कराने के कार्य को गति मिली है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत किसानों को भूमिगत जल एवं सतही-जल के उपयोग की योजनाएं शुरू करने के लिए उदार आर्थिक सहायता, अनुरक्षण सहायता और ऋण सुविधा दी जाएगी।

एकीकृत जल संरक्षण एवं उपयोग योजना तैयार करने तथा पानी की कमी वाले क्षेत्रों की आवश्यकताएं प्रभावी ढंग से पूरी करने के बारे में फालतू पानी का उपयोग करने के उपायों की सिफारिश करने के लिए एक राष्ट्रीय आयोग बनाया गया है। सरकार सिंचाई प्रबंध और बड़ी सिंचाई परियोजनाओं के कारण

विस्थापित हुए लोगों के पुनर्वास और पुनर्स्थापन के लिए एक राष्ट्रीय नीति बना रही है।

हमारे आर्थिक विकास का मूल उद्देश्य गरीबी हटाना है। रोजगार के अवसर पैदा करने, परिसंपत्तियों के सृजन, कार्यकुशलता में सुधार और बहुत अधिक निर्धन लोगों की आय बढ़ाने के सभी कार्यक्रमों को सुदृढ़ बनाया गया है। गरीबी हटाने से संबंधित इन सभी कार्यक्रमों के लिए परिव्यय को नौवीं पंचवर्षीय योजना के दौरान दुगुना किया जाएगा।

रोजगार आश्वासन योजना और मध्याह्न भोजन योजना अप्रैल, 1997 तक पूरे देश में लागू हो जाएंगी। इसी प्रकार स्व-रोजगार की योजना को सुदृढ़ किया जा रहा है। इन कार्यक्रमों को पुनः कारीगरों और शिल्पकारों, शिक्षित बेरोजगार युवाओं तथा अन्य गरीब वर्गों के हितों के अनुकूल बनाया जा रहा है। अधिक आर्थिक सहायता, बेहतर प्रशिक्षण और ऋण व्यवस्थाओं के जरिए हर वर्ष कम से कम दस लाख शिक्षित बेरोजगार युवाओं को उपयुक्त उद्यम और व्यवसाय शुरू करने के लिए सहायता दी जाएगी।

सरकार की एक प्रमुख प्राथमिकता है गरीबों के जीवन-स्तर में सुधार करने के लिए बुनियादी न्यूनतम सेवाएं प्रदान करने हेतु पहल करना और अनेक ठोस कदम उठाना। इन बुनियादी न्यूनतम सेवाओं पर खर्च करने से न केवल अति आवश्यक सामाजिक सुविधाएं प्रदान की जा सकेंगी, बल्कि इससे रोजगार के अवसर भी पैदा न होंगे, तथा भारत के सर्वाधिक पिछड़े इलाकों में ग्रामीण अर्थव्यवस्था और समाज के पुनरुत्थान में भी इसकी एक प्रमुख भूमिका होगी। यही एक रास्ता है, जिससे हमारे कामगार, किसान और कारीगर आर्थिक पुनर्निर्माण की प्रक्रिया में भाग ले सकते हैं। मुख्यमंत्रियों के जुलाई, 1996 में हुए सम्मेलन में यह निर्णय लिया गया था कि निम्नलिखित सात बुनियादी न्यूनतम सेवाएं हासिल करने के लिए एक समयबद्ध कार्यक्रम कार्यान्वित किया जाए:

प्रत्येक बस्ती में स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था करना।

पांच हजार लोगों के प्रत्येक समूह के लिए प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल की कारगर व्यवस्था करना।

सभी के लिए अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा तथा साक्षरता प्रसार के लिए उपाय करना,

- (4) बेघर लोगों के लिए सार्वजनिक आवास सहायता की व्यवस्था करना,
- (5) गांवों/ बस्तियों को निकट के बाजार अथवा मुख्य सड़क तक संपर्क सड़को से जोड़ना,
- (6) गरीब परिवारों के बच्चों के लिए स्कूल-पूर्व तथा प्राथमिक शिक्षा स्तरों पर पोषाहार की व्यवस्था करना , तथा
- (7) गरीबों पर ध्यान केन्द्रित करते हुए सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सुचारु बनाना।

राष्ट्रीय वचनबद्ध और स्थानीय पहल को ध्यान में रखकर इन कार्यक्रमों को कार्यान्वित करने के लिए राज्यों को 2116 करोड़ रूपए की विशेष केन्द्रीय सहायता प्रदान की गई। गरीबी रेखा से नीचे जीवन-यापन करने वाले लोगों के लाभ के लिए एक नई और लक्ष्योन्मुखी सार्वजनिक वितरण प्रणाली की घोषणा की गई है, जिसमें विशेष रूप से रियायती दरों पर खाद्यान्न उपलब्ध कराने की व्यवस्था है। इस नई प्रणाली से रोजगार आशसन योजना और जवाहर रोजगार योजना जैसी ग्रामीण मजदूरी रोजगार योजनाओं में भाग लेने वाले लोगों के अतिरिक्त, गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लगभग 32 करोड़ लोग लाभान्वित होंगे।

इन विकास कार्यक्रमों के वास्तविक लाभ तभी प्राप्त हो सकेगे, जब हम बढ़ती हुई जनसंख्या पर अकुंश लगा लेंगे। परिवार कल्याण कार्यक्रम में लक्ष्य निर्धारित करने की प्रणाली समाप्त करके उसके स्थान पर प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र स्तर विकेन्द्रीकृत सहभागिता योजना बनाकर इस कार्यक्रम को नई दिशा दी गई है। आशा है कि इससे इन क्षेत्र में कार्यकर्ताओं की अधिक भागीदारी हो सकेगी, जिससे सेवाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा, तथा अधिक लोग छोटे परिवार के मानदण्ड अपना सकेंगे।

सरकार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और अल्पसंख्यकों के विकास के स्तरों में अंतर कम करने और उन्हें शेष समाज के साथ बरबरी पर लाने के लिए वचनबद्ध है। वास्तव में इसका उद्देश्य सभी प्रकार के शोषण को समाप्त करना तथा उपयोजनाओं, विशेष केन्द्रीय सहायता और राष्ट्रीय वित्त एवं विकास निगम के जरिए उनकी सामाजिक एवं आर्थिक प्रगति के लिए निधियां बढ़ाना है। सफाई कर्मचारियों के बेहतर प्रशिक्षण एवं पुनर्वास के लिए राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी वित्त एवं विकास निगम की स्थापना की गई है। हम महिलाओं और पुरुषों में समानता लाने तथा महिलाओं के विरुद्ध होने वाले

भेदभाव को समाप्त करने के लिए भी उत्सुक हैं। आप जानते ही हैं कि सरकार ने लोक सभा और राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के विषय में एक विधेयक में एक विधेयक पेश किया है, जिससे नीति बनाने में उनकी और अधिक भागीदारी सुनिश्चित हो सके।

सरकार सभी कामगारों, विशेषकर असंगठित क्षेत्र के कामगारों के हितों की रक्षा के लिए कटिबद्ध है इसके संबंध में निर्माण कार्य से जुड़े 90 लाख कामगारों के स्वास्थ्य, सुरक्षा और कल्याण के लिए इस वर्ष दो विधेयक पारित किए गए। हमने न्यूनतम मजदूरी तथा बाल श्रम और बंधुआ मजदूरों से संबंधित कानूनों के प्रभावी ढंग से लागू करने के लिए एक सामूहिक अभियान चलाया है। खेतिहार मजदूरों के लिए न्यूनतम मजदूरी का काम करने की बेहतर सुविधाएं सुनिश्चित करने के लिए एक केन्द्रीय कानून बनाने का प्रस्ताव संसद में शीघ्र पेश किया जा रहा है।

सरकार विकलांग व्यक्तियों को समान अवसर प्रदान करने, उनके अधिकारों के संरक्षण और पूर्ण भागीदारी से संबंधित कानून लागू करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस महत्वपूर्ण कानून के अंतर्गत नियम केन्द्रीय सरकार द्वारा पहले ही अधिसूचित कर दिए गए हैं, और राज्य सरकारों से शीघ्रतिशीघ्र ऐसी ही कार्यवाई करने के लिए अनुरोध किया जा रहा है। विकलांग व्यक्तियों के लिए रोजगार के अधिक अवसर जुटाने हेतु एक राष्ट्रीय निगम स्थापित कर दिया गया है।

सरकार यह मानती है कि आर्थिक प्रगति के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी महत्वपूर्ण हैं। विश्व के निरंतर बदलते परिदृश्य से हमारा अनुसंधान और विकास तथा प्रौद्योगिकी अंतरण एवं विस्तार हमारी प्रतिस्पर्धा की क्षमता के महत्वपूर्ण निर्धारक तत्व हैं। अब आवश्यकता इस बात की है कि सार्वजनिक और निजी, दोनों क्षेत्रों में विज्ञान और प्रौद्योगिकी की आधारिक संरचना का व्यापक रूप से नवीनकरण किया जाए। सरकार ने विज्ञान और प्रौद्योगिकी के कार्यों को समन्वित करने के लिए हाल ही में एक शीर्ष स्तरीय ढांचे के पुनर्गठन की स्वीकृति प्रदान कर दी है।

कल्पककम में कामिनी रिक्टर के क्रान्तिक स्थिति में पहुंचने के फलस्वरूप हमने परमाणु विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में विद्युत उत्पादन के लिए परमाणु ऊर्जा का उपयोग करने में उल्लेखनीय प्रगति के हैं। राष्ट्रीय विकास के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करने वाले देशों में भारत आग्रिम पंक्ति में है। ध्वीय

उपग्रह प्रक्षेपण यान की सफलता से हमारा देश आई.आर.एस. श्रेणी के उपग्रह छोड़ने में आत्मनिर्भर हो गया है, और जियो-सिक्रोनस उपग्रह प्रक्षेपण यान विकसित करने में पर्याप्त प्रगति हुई है। हमारे अपने कैमरों से भारतीय उपग्रहों से प्राप्त चित्र विश्व में सर्वोत्तम हैं, और अब हम अंतरिक्ष से प्राप्त चित्र आदि विश्व के बाजारों में बेच रहे हैं। मैं इन परियोजनाओं पर कार्य कर रहे सभी वैज्ञानिकों को बधाई देता हूँ।

सेना और अर्धसैनिक बलों के जवान और अधिकारी सिविल प्राधिकारियों को बहुमूल्य सहयोग देते रहे हैं। इसमें सीमा पार से अशान्ति फैलाने के निरन्तर प्रयासों के बावजूद, जम्मू-कश्मीर में संसद और विधान सभा के चुनाव शान्तिपूर्ण ढंग से करवाया जाना भी शामिल है। जिन क्षेत्रों में राहत और बचाव मिशनों की सहायता करने में हमारी सशस्त्र सेनासओं का योगदान अनुकरणीय रहा है।

हमारी सशस्त्र सेनाएं सीमाओं की सुरक्षा के लिए सदैव तत्पर रहती हैं। राष्ट्र की सुरक्षा मजबूत की सर्वप्रथम प्राथमिकताओं में से एक है। इस पर कोई समझौता नहीं किया जा सकता। सरकार सशस्त्र सेनाओं के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता के प्रति सचेत है और यह उद्देश्य प्राप्त करने हेतु आवश्यक सभी साधन उपलब्ध कराने के लिए वचनबद्ध है। अपने विद्यमान उपकरणों को निरन्तर उन्नत बनाने के साथ-साथ प्रौद्योगिकी की दृष्टि से उच्च कोटि के शस्त्र प्राप्त करने से राष्ट्र की रक्षा सेनाओं को सशक्त बनाने में काफी मदद मिलेगी।

सुरक्षा प्रणालियों में अधिक आत्मनिर्भर हाने के लिए दस वर्षीय राष्ट्रीय मिशन बहुत अधिक प्रगति कर रहा है। बहुमुखी मुख्य लडाकू टैक अर्जुन का निर्माण इस वर्ष आरंभ हो जाएगा। हमारे देश ने सेनाओं के लिए अपेक्षित किसी भी प्रकार की प्रक्षेपास्त्र प्रणाली का डिजाइन तैयार करने और इस्तेमाल करने की क्षमता प्राप्त कर ली है। नौसेना के आधुनिकीकरण की तत्काल आवश्यकता है, और इसकी पूर्ति के लिए इसको उन्नत एवं सुसज्जित करने हेतु अनेक कदम उठाए जा रहे हैं। इस वर्ष हल्का लडाकू वायुयान परियोजना के अपने उड़ान परीक्षणों में भी निरन्तर प्रगति हो रही है।

जहां तक हमारे पड़ोसी देशों के साथ संबंधों का प्रश्न है, हमारी रचनात्मक और व्यावहारिक विदेश नीति के सकारात्मक परिणाम काफी हद तक सामने आ रहे

हैं। हम उनके साथ द्विपक्षीय आधार पर, और दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संघ के माध्यम से आपसी हित के संबंध बनाने के लिए लगातार कोशिश करते रहे हैं। सार्क के वर्तमान अध्यक्ष के रूप में भारत द्वारा इस संघ को सुदृढ़ करने और इसके कार्यक्रमों को व्यापक बनाने में निभाई गई सक्रिय भूमिका का बहुत स्वागत हुआ है।

बंगलादेश की प्रधानमंत्री की दिसम्बर, 1996 में की गई भारत की यात्रा के समय दोनों देशों द्वारा गंगा जल के दीर्घकालिक बंटवारे के संबंध में एक ऐतिहासिक संधि पर हस्ताक्षर किए जाने से भारत और बंगलादेश के संबंधों में मित्रता के एक नए युग का सूत्रपात हुआ है।

इसी प्रकार, महाकाली संधि किए जाने के परिणामस्वरूप भारत-नेपाल संबंधों को एक नई दिशा में मिली है। इस संधि से जल संसाधनों के सयुक्त उपयोग और द्विपक्षीय आर्थिक सहयोग की काफी संभावना पैदा हुई है। भूटान, श्रीलंका और मालदीव के साथ भारत के संबंध मधुर और मैत्रीपूर्ण बने रहे।

चीन जनवादी गणराज्य के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से विश्व के दो सर्वाधिक जनसंख्या वाले देशों के बीच सहयोग का एक नया द्वार खुला है। इस यात्रा के समय विश्वास है कि लोगों के परस्पर मिलने-जुलने तथा व्यापारिक और आर्थिक संबंध बढ़ाने से इस प्रक्रिया में मदद मिलेगी। हम पाकिस्तान की नई सरकार के साथ वार्ता के लिए तैयार हैं, और उससे शीघ्र ही बातचीत फिर शुरू करने की आशा करते हैं।

अफगानिस्तान में निरन्तर विदेशी हस्तक्षेप के कारण पैदा हो रही अस्थिरता से भारत चिंतित है। विदेशी हस्तक्षेप को रोके बिना अफगान समस्या का कोई हल नहीं हो सकता। अफगानिस्तान के एक मित्र और िहतैषी के रूप में हमारी परम्परागत भूमिका को सभी जानते हैं और हम उसके पीछित लोगों के लिए मानवीय आधार पर उसे सहायता देते रहेंगे।

जापान इस महीने के प्रारंभ में सम्पन्न हुए भारतीय इंजीनियरी व्यापार मेले में मित्र देश के रूप में

हिस्सा लेने वाला प्रथम एशियाई देश रहा। इससे यह पता चलता है कि दोनों देशों के बीच आर्थिक सहयोग बढ़ रहा है। हम जापान के साथ अपने संबंधों को और व्यापक बनाने के लिए उत्सुक हैं।

दक्षिण-पूर्व एशियाई राष्ट्र संघ के साथ हमारे आपसी हितों के लिए बातचीत होती रही है, जो पिछले वर्ष नए स्तर पर पहुंची है। हमें विश्वास है कि यह प्रक्रिया जारी रहेगी, और हम एशिया-प्रशांत क्षेत्र के कार्यक्रमों में अपनी यथोचित भूमिका निभाएंगे।

अरब देशों के साथ हमारे परम्परागत मैत्री, आपसी सूझ-बूझ और व्यापक सहयोग के संबंध बने रहेंगे। भारत ने मध्य पूर्व शांति प्रक्रिया का समर्थन किया है, और अब तक हुई प्रगति का स्वागत किया है। हमें इसके शीघ्र पूरा होने की उत्सुकता से प्रतीक्षा है। इजराइल के राष्ट्रपति की हाल की भारत यात्रा से उस देश के साथ हमारे तेजी से बढ़ रहे आर्थिक और प्रौद्योगिकीय सहयोग को गति मिली है।

हमने रूस के साथ संबंधों को हमेशा उच्च प्राथमिकता दी है, जो निरन्तरता, विश्वास और आपसी समझ-बूझ पर आधारित हैं।

हमें आशा है कि क्लिंटन प्रशासन के द्वितीय कार्यकाल के दौरान भी भारत-अमरीका संबंधों में निरन्तर वृद्धि होगी। भारत और अमरीका में लोकतंत्र की जड़े बहुत मजबूत हैं, और दोनों ही एक-दूसरे से मित्रता का व्यवहार करते आये हैं, तथा परस्पर लाभकारी संबंधों का विस्तृत आधार विकसित करने का महत्व स्वीकार करते हैं।

पश्चिम यूरोप के साथ हमारे ऐतिहासिक संबंध रहे हैं, जिन्हें धानिष्ठ आर्थिक सहयोग से और सुदृढ़ किया जा रहा है। साथ ही हम लोकतंत्र के प्रति समान रूप से वचनबद्ध हैं। यूरोपीय संघ हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक हिस्सेदार है, और वह भारत के साथ राजनीतिक, आर्थिक एवं संस्कृतिक क्षेत्रों में अपने संबंधों को और बढ़ाना चाहता है। हम उसकी इस भावना का स्वागत करते हैं। उसके प्रति हमारी भी ऐसी ही भावना है।

गुट निरपेक्ष आंदोलन के प्रति हमारी वचनबद्धता बरकरार है, और भारत इसके उद्देश्यों और सिद्धान्तों को पूरा समर्थन देता रहेगा। भारत इस वर्ष अप्रैल में नई दिल्ली में होने वाले गुट निरपेक्ष देशों के अगले मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबानी करेगा।

विधायी कार्य से संबंधित तैतिस विधेयक आपके समक्ष विचारार्थ हैं, जिनके लोकपाल विधेयक 1996,

दंड विधि संशोधन विधेयक 1995 और लोक सभा एवं राज्य विधान सभाओं में महिलाओं के लिए सीटों के आरक्षण के उपबंध से संबंधित संविधान (81वां संशोधन) विधेयक, 1996 शामिल है। सरकार वर्तमान सत्र के दौरान संसद के समक्ष निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधेयक प्रस्तुत करना चाहती है:

- (1) प्रसारण विधेयक, 1997
- (2) प्रसार भारती (ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन आफ इंडिया) संशोधन विधेयक, 1997
- (3) उपभोक्ता संरक्षण (संशोधन) विधेयक, 1997
- (4) विद्युत विधि (संशोधन) विधेयक, 1997
- (5) बहुराज्य सहकारी समिति (संशोधन) विधेयक, 1997
- (6) भारतीय टेलीग्राफ (संशोधन) विधेयक, 1997 तथा
- (7) भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (संशोधन) विधेयक, 1997

हम इस वर्ष अगस्त से अपनी स्वतंत्रता की 50वीं वर्षगांठ मानने जा रहे हैं। हमारा स्वतंत्रता संग्राम अहिंसा पर आधारित होने के कारण विश्व-इतिहास में अद्वितीय था। आज भारत लोकतंत्रिक मूल्यों, विधि सम्मत शासन, मानवधिकार तथा धर्म निरपेक्षता बनाए रखने के लिए एक मार्गदर्शक है। हमारी इन नीतियों से स्वतंत्रता और आर्थिक विकास का तालमेल स्थापित हुआ है। यह हमारा सौभाग्य है कि इस शताब्दी के महान नेता लोकतंत्र और स्थायित्व की कठिन चुनौतियों का सामना करने में हमारा मार्गदर्शन करते रहे हैं।

इस सदी के शेष चार वर्ष भारत के राष्ट्रीय विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, जिनमें इसे पिछली उपलब्धियों के आधार पर और विकास करके एक नए भविष्य का निर्माण करना चाहिए। आज भारत आशा और विश्वास के साथ 21वीं सदी में पदार्पण करने की तैयारी कर रहा है, जो उसके लिए एक अभूतपूर्व अवसर है। विश्व में हमारा स्थासन इस बात से तय होगा कि क्या हम दृढ़ता और यथार्थता से आगे बढ़ते हैं, अथवा अपनी परम्परागत सोच से बंधे रहते हैं। अगली सहस्तसब्दि के आरम्भ में हम इन सभी बातों पर विचार करें और बुनियादी मुद्दों को सुलझाएं, ताकि हम अगले सदी के शुरु में ही विश्व के विशाल और विकसित देश के रूप में उभरने का अपना लक्ष्य प्राप्त कर सकें।

जय हिन्द

[Text of the President's Address in English]

Honourable Members,

It gives me great pleasure to welcome you to the first Session of Parliament in 1997. I felicitate the new Members and extend to you all my best wishes for the successful completion of the budgetary and legislative business that lies ahead.

This is my first address to Parliament after the present Government assumed office. The Common Minimum Programme of the United Front contains the basic agenda on crucial areas of national development, equity, social justice and secularism. It is a bridge for our society and people towards greater prosperity and well-being. It contains specific policies and guidelines for strengthening our federal structure, empowerment of disadvantaged sections, especially the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, the Other Backward Classes and the minorities, for providing basic minimum services and for eradicating poverty and ignorance. The Common Minimum Programme also lays emphasis upon evolving policies for rapid economic growth by attracting massive investments in industry and infrastructure.

This programme thus strikes a fine balance between economic growth on the one hand, and concern for equity and distributive justice on the other. The Government is firmly committed to achieving these objectives.

Under our democratic federal polity, coalition governments can be stable and promote durable socio-economic development. The Constitution has excellent features defining the relations between the Union and the States. The Government will respect the constitutional provisions without any discrimination and endeavour to strengthen the arrangements for a cooperative approach to our national problems. We are sure that all states will extend their cooperation in preserving

these institutions and in making their deliberations more useful for the Union and the States.

The Government has imparted a measure of dynamism to the Inter-State Council, the National Development Council, the Planning Commission and also held periodic conferences of Chief Ministers. The Inter-State Council at its meeting on October 15, 1996 accepted a majority of the recommendations of the Sarkaria Commission for implementation by the Government. A Standing Committee, which shall be a permanent Committee of the Inter-State Council, has been set up to review the remaining recommendations of the Sarkaria Commission, especially those relating to devolution of financial powers to the states and changes required in Article 356 of the Constitution. The unanimity shown at the conferences of Chief Ministers on Basic Minimum Services and on problems of the power sector have led to the formulation of time-bound programmes for improving the quality of life in rural areas and to the adoption of the National Common Minimum Action Plan for Power. The approach document for the Ninth Five Year Plan was prepared by the Planning Commission in record time, and was unanimously endorsed by the National Development Council at its meeting on January 16, 1997. This spirit of cooperation augurs well for the timely launch of the Ninth Five Year Plan.

Panchayati Raj institutions and Nagar Palikas provide an ideal framework for planning, formulating and executing programmes for economic development and social justice. The Government is keen to secure adequate devolution of powers and funds to these institutions. The passage of law by Parliament during its last session extending Part IX of the Constitution to the Scheduled Areas is a historic event and amply demonstrates this commitment.

Integrity and impartiality in public life and in the conduct of all public servants are the foundations of democracy. To

increase transparency and accountability in administration at all levels, the Government has initiated a national debate on Effective and Responsive Administration. The Government intends to consider various views on this subject and place an action plan before a conference of Chief Ministers soon. The Government is concerned about corruption in public life and is determined to take effective steps to eradicate this evil. The Lok Pal Bill has been introduced in the Lok Sabha and a beginning has been made to reform the electoral process with the passage of the Representation of the People (Amendment) Act 1996. Efforts are on to introduce a more comprehensive Bill in Parliament on this subject in consultation with all political parties.

The challenges to internal security of the nation cannot be underestimated. These destabilising influences emanate both from within the country and from outside. The Government is fully conscious of these forces and have met these challenges with determination. The sustained operation against terrorists coupled with vigorous welfare and development efforts have brought about a qualitative improvement in the situation in Jammu & Kashmir. The successful conduct of assembly elections and the installation of a popular Government in Jammu & Kashmir have been major steps forward in the process of restoration of normalcy. The Prime Minister had announced a special economic package for the revival of the State's economy during the last Monsoon Session of Parliament. Action has already been taken to implement it.

The activities of militant groups in a few states in the North-East continue to cause concern. These groups are taking advantage of the difficult terrain along the long international borders. The Government has taken major diplomatic initiatives with our neighbours to tackle this problem. It is also taking effective steps to tackle the situation in this region

through a multipronged strategy, including the economic uplift of the region. A comprehensive package aimed at accelerating the pace of development in the North-Eastern region was announced in October last. A High-Level Commission on Infrastructure Development and Basic services and a High Level Expert Committee on the creation of employment opportunities for the educated unemployed have been set up.

In Punjab, the successful conduct of elections to local government institutions and the State Assembly demonstrates the abiding faith of the people of the State in democracy and their commitment to peace and harmony.

The Indian economy is firmly set on a high-growth path and our objective of ensuring at least 7% growth during the Ninth Plan period is feasible. During the last three years, the economy has been growing at an average rate of about 7% per annum. While agricultural production has been growing at about 2.6%, industrial production has grown at an average rate of over 10%. The foreign currency reserves have grown steadily and are presently at about 19.5 billion US dollars.

The Government is committed to economic reforms aimed at faster economic growth. To create an environment conducive to private investment, laws and policies are being suitably adapted for each sector. Procedures have been simplified to provide for quicker clearance of proposals and to make the process transparent. Action has also been initiated to create the confidence that investors will get fair and equal treatment.

The Foreign Investment Promotion Board has been thoroughly revamped to ensure that decision making is quicker and more transparent. Foreign investment Promotion Council has been set up to promote smooth inflow of

foreign capital. The list of industries eligible for automatic approval has been further enlarged. Specific guidelines for foreign investment have been laid down for each sector. We are committed to achieving our goal of attracting at least \$ 10 billion a year as foreign direct investment.

Similarly, in the financial sector, the banking system is being geared up to conform to international norms. With the introduction of depositories and modernisation of stock exchanges, settlements are expected to be faster to attract institutional investment. We are taking steps to attract long term pension and insurance funds from abroad.

However, to sustain this buoyancy in the economy, substantial augmentation of investment in crucial infrastructure areas such as power, transport and irrigation is essential. The formation of the new Infrastructure Development Finance Company will fill critical gaps in financing viable infrastructure projects. In the all important power sector counter guarantees have been extended to five fast track power projects in the private sector. The adoption of the Common Minimum National Action Plan for Power is an important initiative towards devolution of decision-making authority to the States, the restructuring of State Electricity Boards and the rationalization of tariff. Recently the government has decided to allow private investment in power transmission.

In the case of ports, a comprehensive policy has been announced for attracting private investment and providing for automatic approval for foreign equity up to 74%. Development of highways in India on modern lines will receive impetus through expansion of the capital base of the National Highways Authority of India. An ordinance has also been promulgated amending the National Highways Act, 1955, and the National Highways Authority of India Act, 1988, paving the way for speedy acquisition of land and private investment in road

building. The Government has also made a systematic effort to extend the railway network in areas hitherto neglected, such as the North-East.

The process of opening up the mining sector to allow foreign and Indian private investment has taken a step further with the issue of guidelines for granting large areas for prospecting licences in October, 1996. A fresh ordinance for establishing a statutory telecom regulatory authority has been promulgated. The government is set to make basic telecom services operational by resolving pending issues.

The oil and gas policy has to subserve the growth of the economy as a significant industrial power in the next decade. With increased growth in the demand for these products and the recent increases in the international prices of petroleum products, the deficit in the Oil Pool Account will reach about Rs. 15,500 crore by the end of the current year. Healthy development of the oil sector in the country demands that the Oil Pool Account is in balance. We have to make massive investment in the oil sector to step up exploration and production. We should generate enough resources not only to cover current costs but also to take care of fresh investments.

Vigorous growth in agriculture has to go hand in hand with fast industrial development. This is essential both for removing poverty and for meeting the increasing demand for agricultural products. Agricultural development in rainfed, drought-prone and degraded land is a matter of high priority. The watershed development approach, combining modern land management and water conservation practices, is the most appropriate instrument to bring quick and sustained growth to the poor living in these areas. The Government is committed to bringing together all the sub-systems constituting watershed-based development under one umbrella to facilitate sharper focus, better integration and more efficient micro-level planning and programme implementation.

Research through Indian Council of Agricultural Research and State Agricultural Universities has to be stepped up to address specific problems of local areas and for taking fruits of the frontier areas of science to the farmer. Soil testing facilities have been extended to a large part of the country. Tissue culture research in our country has provided an impetus to the commercialisation and large-scale application of this technology for horticulture and afforestation of wastelands. Hybrid rice is one of the main avenues for enhancing productivity and production of rice. The Indian Agricultural Research Institute is releasing a Basmati hybrid rice variety which will boost production and export of quality rice. Five hybrid varieties of rice have already been released for commercial cultivation. Thus India has emerged as the second largest hybrid rice growing country in the world. This year also witnessed the opening of the National Gene Bank in New Delhi which is one of the largest in the world. A High-Level Committee has been set up to examine comprehensively the issues involved in the application of advancements in frontier sciences at the farm level.

Irrigation has always been a thrust area for agricultural development. However, targets for increasing the potential of irrigation have suffered a set-back in the Eight Plan. The Government initiated the Accelerated Irrigation Benefit Programme in 1996-97. The Rural Infrastructure Development Fund of NABARD has been strengthened to achieve similar results in rural infrastructure, especially in irrigation and watershed development.

Provision of irrigation facilities for small and marginal farmers, especially those belonging to the Scheduled Castes and the Scheduled Tribes, has received impetus through a new programme called "Ganga Kalyan". Under this programme, farmers will be supported to take up

schemes for ground water and surface water utilisation through liberal subsidy, maintenance support and credit arrangements.

A National Commission has been set up to prepare an integrated water conservation and utilisation plan and recommend steps for the use of surplus waters in an efficient manner to meet the requirements of water deficit areas. The government is also working towards a National Policy for Irrigation Management and for human resettlement and rehabilitation of persons displaced by large irrigation projects.

The fundamental objective of our economic development is the removal of poverty. Programmes for generation of employment, creation of assets, improvement of skills and the raising of incomes of very poor people have all been strengthened. Outlays on these programmes for reduction of poverty will be doubled during the 9th Five Year Plan.

The Employment Assurance Scheme and the Mid-Day-Meal Scheme are being extended to the entire country by April, 1997. Similarly, the Schemes for self-employment are being strengthened. These programmes are being reoriented and directed towards artisans and craftspersons, educated unemployed youth and other groups of the poor. At least one million educated unemployed youth will be supported every year to start viable enterprises and businesses through better subsidy, training and credit arrangements.

A major priority of the Government is to initiate and implement a set of concrete measures for providing basic minimum services to improve the quality of life of the poor. Expenditure on these Basic Minimum Services will not only provide much needed social amenities, but will also generate employment and play a major role in reviving the rural economy and society in the most backward regions of India. This

is the only way to enable our workers, farmers and artisans to participate in the process of economic transformation. At the Conference of Chief Ministers held in July, 1996 it was decided to implement a time-bound programme for achieving seven basic minimum services. These are:

- (1) Provision of Safe Drinking Water in every habitation;
- (2) Provision of efficient Primary Health-Care for every group of 5000 persons;
- (3) Universal and Compulsory primary education and measures to spread literacy;
- (4) Provision of Public Housing Assistance to shelterless poor persons;
- (5) Connecting villages/habitations with link roads to the nearest market or the main road;
- (6) Nutrition support to children belonging to poor families during pre-school and elementary education stages; and
- (7) Streamlining the Public Distribution System with focus on the poor.

Special Central assistance of Rs. 2216 crore was placed at the disposal of the States for implementing these programmes blending national commitment with local initiatives. A new and targeted Public Distribution System has been announced to benefit the population below the poverty line, with foodgrains at specially subsidised prices. As many as 32 crore people below poverty line will benefit under the new system, in addition to those participating in rural wage employment schemes such as Employment Assurance Scheme and Jawahar Rozgar Yojana.

The real benefits of these development programmes would accrue only if the growth in population is curbed. The new orientation given to the Family Welfare Programme by doing away with the system of setting targets and replacing it

by decentralised participatory planning at the primary health centre level is expected to bring about greater involvement of the service providers leading to improvement in quality of services and acceptance of the small family norm.

The Government is committed to bridging the gap in the levels of development of the Scheduled Castes, the Scheduled Tribes, backward classes and minorities and to bring them on par with the rest of the society. The idea is to eliminate all forms of exploitation and enhance the flow of funds for their social and economic progress through sub-plans, special central assistance and the National Finance and Development Corporations. For better training and rehabilitation of Safai Karamcharis, the National Safai Karamchari Finance and Development Corporation has been established. We are also keen to promote gender equality and removal of discrimination against women. As you know, the Government has already introduced a Bill for reservation of seats for women in the Lok Sabha and State Assemblies to ensure their better participation in policy making.

The Government is committed to protect the interests of all workers, especially those in the unorganised sector. Towards this end, two Bills were passed this year to promote health, safety and welfare of 90 lakh construction workers. We have launched a concerted drive for effective enforcement of laws on minimum wages, child labour and bonded labour. A Central legislation for agricultural workers to guarantee them minimum wages and fair conditions of work is being introduced in Parliament soon.

The Government is committed to implementing the law relating to provision of equal opportunities, protection of rights and full participation of disabled persons. Rules under this important legislation have already been notified by the Centre and State Governments are being requested to take

similar action at the earliest. A National Corporation for creating more job opportunities for the disabled persons has already been established.

The Government recognises that science and technology are important for economic progress. In the everchanging global scenario, our research and development, technology transfer and diffusion are the critical determinants of our competitiveness. There is now a need for a massive renewal of our science and technology infrastructure in both public and private sectors. The Government has recently approved a revised apex-level structure for coordinating science and technology activities.

Our nuclear science and technology have achieved noteworthy progress in harnessing nuclear energy for electricity generation with the reaching of criticality of the Kamini reactor at Kalpakkam. India is in the forefront in the application of space technology for national development. The success of PSLV has made our country self-reliant in the launching of IRS class of satellites and substantial progress has been made in the development of Geo-Synchronous Satellite Launch Vehicle. The resolution of imagery from Indian satellites with our own cameras is among the best in the world, and our space products are now being sold in the global markets. I must congratulate all scientists working on these projects.

Men and officers of the Army and Para-Military Forces have continued to render valuable assistance to civil authorities, including in the peaceful conduct of Parliamentary and Assembly elections in Jammu and Kashmir, despite sustained efforts from across our border to foment trouble. The contribution of our Armed Forces in difficult relief and rescue missions has been exemplary.

The Armed Forces remain in a state of constant preparedness to safeguard our territorial integrity. Strengthening the defence of the nation is among the

foremost priorities of the Government in which there can be no compromise. The Government is conscious of the urgent need for modernising the Armed Forces, and is committed to provide all the inputs which may be needed for fulfilling this objective. Acquisition of technologically superior armament, along with the continued upgradation of our existing equipment, will help to considerably strengthen the defences of the nation.

The Ten Years' National Mission for enhancing self-reliance in Defence Systems is making excellent progress. The production of the versatile Main Battle Tank Arjun will start from this year. The country has attained the capability to design and field any type of missile systems needed by the Services. The modernisation of the Navy is a matter of urgency and a number of steps to upgrade and equip our Navy for its needs are being taken. The Light Combat Aircraft project is also making steady progress towards its flight trial during this year.

The positive results of our constructive and pragmatic foreign policy are becoming increasingly evident as far as relations with our immediate neighbours are concerned. We have consistently sought mutually beneficial relations with them, both on a bilateral basis as well as through the South Asian Association for Regional Cooperation. The active role played by India as the current Chairman of SAARC in strengthening the Association, and enlarging its activities has been widely acknowledged.

During the visit of the Prime Minister of Bangladesh to India in December, 1996, the two countries signed a historic treaty on the long-term sharing of Ganga waters heralding a new era of friendship in India-Bangladesh relations.

Similarly, India-Nepal relations have gained a new dimension with the conclusion of the Mahakali Treaty, which envisages joint utilisation of water resources and opens up tremendous

possibilities for bilateral economic cooperation. With Bhutan, Sri Lanka and Maldives, India continued to maintain warm and friendly relations.

The recent visit by the President of the People's Republic of China marked a new threshold of cooperation between the world's two most populous countries, The Agreement on Confidence Building Measures signed during the visit is of great significance and is expected to strengthen bilateral relations further.

With Pakistan, we are committed to ending confrontation and establishing a harmonious relationship and durable peace, as provided for in the Shimla Agreement. We believe that fostering people-to-people contacts and promoting trade and economic links will contribute to this process. We are ready for a dialogue with the new Government of Pakistan and hope for an early resumption of talks.

India is concerned at the continuing foreign interference and consequent instability in Afghanistan. There can be no resolution of the Afghan problem without cessation of foreign interference. Our traditional role as a friend and a well-wisher of Afghanistan is recognised and our humanitarian assistance for the suffering people of Afghanistan will continue.

Japan was the first Asian country to participate as Partner Country in the Indian Engineering Trade Fair earlier this month. This symbolises the growing economic cooperation between the two countries and we look forward to intensifying our relations with Japan.

Our mutually beneficial interaction with Association of South East Asian Nations has been growing and reached a new level last year. We are confident that this process will continue and that we will play our due role in the affairs of the Asia-Pacific region.

Our relations with the Arab countries continue to be marked by traditional friendship, mutual understanding, and

growing cooperation. India has supported the Middle East peace process and welcomed the progress made so far; we look forward to its expeditious conclusion. The recent visit of Israel's President to India has given an impetus to our steadily growing economic and technological cooperation with that country.

Relations with Russia continue to be of high priority and are characterised by continuity, trust and mutual understanding.

We look forward to the continued growth of Indo-US relations during the second-term of the Clinton Administration. As two mature and friendly democracies, both India and the US recognise the importance of developing an expanded base for mutually beneficial relations.

With West Europe we share ties of history and a common commitment to democracy, now being strengthened by close economic linkages. We welcome and reciprocate the intention of the European Union, which is our largest trading partner to work towards an enhanced relationship with India, embracing political, economic and cultural relations.

Our commitment to the Non-Aligned Movement remains strong and India will continue to give the fullest support to its objectives and principles. India will host the next Ministerial Conference of Non-Aligned countries in New Delhi in April this year.

Coming to legislative business, thirty three Bills are pending before you including the Lokpal Bill, 1996, the Criminal Law Amendment Bill, 1995 and the Constitution (81st Amendment) Bill, 1996 providing for reservation of seats for women in the Lok Sabha and the Legislative Assemblies of the States. The Government intends to bring before Parliament in the current Session, the following important Bills:

- (1) The Broadcasting Bill, 1997.

- (2) The Prasar Bharati (Broadcasting Corporation of India) Amendment Bill, 1997.
- (3) The Consumer Protection (Amendment) Bill, 1997.
- (4) The Electricity Laws (Amendment) Bill, 1997.
- (5) The Multi State Cooperative Societies Bill, 1997.
- (6) The Indian Telegraph (Amendment) Bill, 1997.
- (7) The National Highways Authority of India (Amendment) Bill, 1997.

In August this year, we will commence celebrating the Fiftieth Anniversary of our Independence. Our freedom struggle was unique in the history of the world, based as it was on non-violence. Today, India is a beacon for sustaining democratic values, Rule of Law, human rights and secularism. Our policies have produced a balanced achievement of freedom and economic betterment. We were fortunate to have in our midst, towering leaders of this century to guide us through the formidable challenges to our democracy and stability.

The remaining four years of this

century represent a crucial period for India's national development, in which it must build further on the past achievements and herald a new future. Today, India is on the threshold of unprecedented opportunity as it prepares itself for entering the 21st century with hope and confidence. Whether we move forward boldly and realistically or remain stuck in the traditional modes of thinking, is going to ultimately determine our place in the world. At the beginning of the next millennium, all of us should ponder over this and deal with the basic issues, so that our destiny as an emerging giant and as a developed nation early in the next century is fulfilled.

JAI HIND

MR. CHAIRMAN: The House is adjourned till 11.00 A.M. tomorrow.

The House then adjourned at fifty-two minutes past twelve of the clock till eleven of the clock on Friday, the 21st February, 1997.